भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †561

दिनांक 25.06.2019/4 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

रोहिंग्या और अन्य म्यांमार प्रवासी

†561. श्री राजीव प्रताप रूडीः
श्री कनकमल कटाराः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में शरणार्थी और अवैध प्रवासी के रूप में रह रहे रोहिंग्या और अन्य म्यांमार प्रवासियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है**;**

(ख) क्या सरकार ने अवैध रोहिंग्या और अन्य म्यांमार प्रवासियों के कारण उत्पन्न समस्या को म्यांमार सरकार के समक्ष उठाया है**;**

(ग) यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं**,** तो इसके क्या कारण हैं**;** और

(घ) सरकार द्वारा रोहिंग्या प्रवासियों सहित देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के प्रत्यर्पण हेतु क्या उपाय किए गए हैं**;**

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): अवैध आप्रवासियों की पहचान और निर्वासन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। केंद्र सरकार को विदेश विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के तहत देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को निर्वासित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनको हिरासत में लेने और निर्वासित करने से संबंधित ये शक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत राज्य सरकारों को भी सौंपी गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भी

अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनको हिरासत में लेने और निर्वासित करने से संबंधित केंद्र सरकार के कार्यों को निष्पादित करने का निदेश दिया गया है। ये शक्तियां अप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) के अधिकारियों को भी प्रदान की गई है।

गृह मंत्रालय ने विभिन्न स्तरों पर कई बैठकें और विडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की हैं तथा राज्य सरकारों और अन्य स्टेक होल्डरों को रोहिंग्या सहित अवैध प्रवासियों की पहचान करने, उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने और उनके द्वारा धोखे से प्राप्त किए गए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि जैसे किसी भी प्रकार के दस्तावेजों को निरस्त करने के बारे में समझाया है। गृह मंत्रालय के दिनांक 24.04.2014 के पत्र सं.25022/19/2014-एफ.। के तहत विदेशी राष्ट्रिकों के निर्वासन/प्रत्यावर्तन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के दिनांक 08.07.2017 के पत्र सं.24013/29/विविध/2017-सीएसआर.III(i) और दिनांक 28.02.2018 के पत्र सं.25022/63/2017-एफ.IV के तहत अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनकी निगरानी करने के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी-पत्र जारी किए गए हैं।

सरकार ने इन रोहिंग्या प्रवासियों का मामला म्यांमार सरकार के साथ भी उठाया है। इन विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षित, शीघ्र और सतत वापसी की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

चूंकि, अवैध आप्रवासी चोरी-छिपे और गुप्त तरीके से बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के देश के भीतर प्रवेश करते हैं, अतः देश में रहने वाले ऐसे प्रवासियों की संख्या से संबंधित सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

******